सूचना

डीओटी/बीएसएनएल के अवकाशप्राप्त कर्मचारियों/परिवारों को दिये गये रियायती टेलीफोन सुविधा का नवीनीकरण

रियायती टेलीफोन सुविधा का उपयोग करने वाले अवकाशप्राप्त कर्मचारियों/मृतक कर्मचारी के परिवारों को एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि;

क. ऐसे अवकाशप्राप्त कर्मचारी या उनके पति/पत्नी को प्रत्येक एक वर्ष बाद संबंधित टेलीफोन प्राधिकारी के पास अपने 'जीवित होने का प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करना होगा।

ख. उपरोक्त को ध्यान में रखकर, संबंधित व्यक्तियों को निम्नलिखित कागजात एजीएम (पीआर एण्ड सी), कलकत्ता टेलीफोन्स, टेलीफोन भवन, 7बी तल, कोलकाता–700001 को **01.11.2010** से **30.11.2010** तक सभी कार्य दिवसों को टेलीफोन भवन के भूतल में रखे गये प्राप्ति शाखा/जीवित प्रमाणपत्र पेटी में जमा करना होगा :

- इन व्यक्तियों को (रियायती टेलीफोन सुविधा का उपयोग करने वाले) विहित प्रपत्र में एक घोषणा करनी होगी, जो कि कलकत्ता टेलीफोन्स के वेबसाइट **www.calcuttatelephones.com** से तथा एसडीई/(सीआर–I), कलकात्ता टेलीफोन्स, कमरा नं. 625, 7बी तल, टेलीफोन भवन के कार्यालय से **01.11.2010** से **30.11.2010** के दौरान सभी कार्य दिवसों को प्राप्त किया जा सकता है।
- अंतिम टेलीफोन बिल तथा योग्यता प्रमाणपत्र की फोटोकॉपी।

नोट :

1. अपरोक्त औपचारिकताओं को पूरा नहीं करने पर रियायती टेलीफोन सुविधा को हटा लिया जाएगा।
2. किसी भी तरह की परेशानी होने पर, आवश्यक कार्रवाई के लिए कृपया पीपीओ/बैंक पासबुक, टेलीफोन बिल तथा योग्यता प्रमाणपत्र के साथ व्यक्तिगत रूप से एजीएम (पीआर एण्ड सी) या एसडीई (सीआर–I) कलकत्ता टेलीफोन्स से संपर्क करें।
3. उपरोक्त निर्देश संशोधित किए जा सकते है जिनकी जानकारी समय–समय पर दी जाएगी।

BSNL
Connecting India Faster

कलकत्ता टेलीफोन्स | www.calcuttatelephones.com